न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 80 / 2024

वादी :– पुरखाराम पुत्र भीकाराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी बेरा सातलावा मालकोसनी मार्ग बिलाडा तहसील

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी – सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः– 10/09/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक सं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 42 / 1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर आई हुई है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार सीतादेवी बेवा स्व. पूनम पुरी, देवेन्द्र पुरी पुत्र पूनम पुरी, राजेन्द्र पुरी पुत्र पूनम पुरी के नाम खातेदारी दर्ज थी। जिनसे वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पिता भीकाराम ने खरीद की तथा वादी के पिता भीकाराम द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 24.06.1986 को वादी के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 24.06.1986 में वादी के पिता भीकाराम द्वारा वादी को घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पुखराज लिखवाया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी वादी का नाम पुखराज दर्ज किया गया। तब से वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में पुखराज दर्ज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी चालु जमाबन्दी में वादी का नाम पुखराज दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम पुरखाराम है, जिसके सम्बंध में वादी के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड, राशनकार्ड, बैक डायरी, विद्युत कनेक्शन बिल, गैस डायरी, जन आधारकार्ड वाद पत्र के साथ पेश है, जिसमें वादी का सही नाम पुरखाराम दर्ज है। इसके अलावा बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 44, 45, 45 / 1 की भूमि जिसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज है, उसमें भी वादी का सही नाम पुरखाराम दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर सुधार कार्य व घरेलु आवश्यकता हेतु ऋण प्राप्ति हेतु वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी की नकल दिनांक 12.07.2024 को ऑनलाईन से प्राप्त करने पर वादी को जानकारी में आया कि वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के सही नाम पुरखाराम के स्थान पर वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पुखराज दर्ज है, तब वादी द्वारा प्रतिवादी से सम्पर्क किया तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पुखराज के स्थान पर वादी के सरकारी दस्तावेज में दर्ज सही नाम पुरखाराम अनुसार दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नही है अपितु श्रीमान समक्ष है। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पुखराज के कारण वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नही कर पा रहा है, क्योकि तमाम सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु वादी के उपरोक्त सरकारी दस्तावेजात् की मांग की जाती है तथा उपरोक्त सरकारी दस्तावेज अनुसार वादी का सही नाम पुरखाराम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही होने से वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में तमाम सरकारी सुविधाए प्राप्त नही कर पा रहा है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम पुखराज के स्थान पर वादी के उपरोक्त सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम पुरखाराम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 24.06.1986 को वादी के पिता भीकाराम द्वारा वादी के नाम खरीद करने तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा में वादी का नाम घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पुखराज लिखवाने तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम पुखराज दर्ज करने तथा वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में सुधार कार्य हेतु व घरेलु आवश्यकता हेतु ऋण प्राप्ति हेतु वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी ऑनलाईन से दिनांक 12.07.2024 को प्राप्त करने पर वादी को प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उसका नाम घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पुखराज दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम पुखराज के स्थान पर वादी के सरकारी दस्तावेज में दर्ज सही नाम पुरखाराम अनुसार दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुए मना करने पर की इस हेतु श्रीमान सक्षम होने से वादकारण बमुकाम् ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 42/1 रकबा 1.6180 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी के दर्ज घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पुखराज के स्थान पर वादी के सरकारी दस्तावेज में दर्ज अनुसार सही नाम पुरखाराम दुरूस्त किये जाने की डिक्री फरमावे। मुताबिक डिक्री के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक नं. 3 में स्थित भूमि ख.नं. 42/1 रकबा 1.6180 हैक्टयर की चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में वादी का नाम पुखराज दर्ज है जो रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 24.06.1986 के आधार पर दर्ज किया गया। वादी द्वारा पेश उसके निजी/सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, जनआधारकार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी, विद्युत कनेक्शन बिला, गैस डायरी व खसरा सं. 44, 45, 45/1 वाके ग्राम बिलाडा चक नं. 3 की चालू जमाबंदी में वादी का नाम पुरखाराम दर्ज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नंबर 42/1 रकबा 1.6180 हैक्टयर वाके ग्राम बिलाडा चक 3 की चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज वादी के अशुद्ध नाम पुखराज के स्थान पर उसके उपरोक्त निजी/सरकारी दस्तावेज के आधार पर शुद्ध नाम पुरखाराम किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिससे शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पुरखाराम पुत्र भीकाराम पी.डब्ल्यू. 1 का पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 42/1, 44, 45, 45/1 ग्राम बिलाडा चक 3 , प्रदर्श 2 पैनकार्ड, प्रदर्श 3 आधारकार्ड, प्रदर्श 4 बैंक डायरी, प्रदर्श 5 परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 6 रजिस्टर्ड बैचाननामा सीतादेवी वगैरा बहक पुखराज के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधारकार्ड पुरखाराम पुत्र भीकाराम, प्रदर्श 2 पहचान पत्र पुरखाराम पुत्र भीकाराम, प्रदर्श 3 पैनकार्ड पुरखाराम पुत्र भीकाराम, प्रदर्श 4 परिवार राशन कार्ड पुरखाराम सीरवी पुत्र भीकाराम, प्रदर्श 5 बिजली बिल पुरखाराम पुत्र भीकाराम, प्रदर्श 6 जनआधारकार्ड शांति देवी पत्नी पुरखाराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम पुरखाराम पुत्र भीकाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पुखराज पुत्र भीकाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम पुरखाराम पुत्र भीकाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने पुखराज पुत्र भीकाराम के स्थान पर पुरखाराम पुत्र भीकाराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 42/1 रकबा 1.6180 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में पुखराज पुत्र भीकाराम के स्थान पर पुरखाराम पुत्र भीकाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/07/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– पुरखाराम पुत्र भीकाराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी बेरा सातलावा मालकोसनी मार्ग बिलाडा तहसील

बनाम

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 80/2024

निर्णय **दिनांक** :– 10/09/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 42/1 रकबा 1.6180 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में पुखराज पुत्र भीकाराम के स्थान पर पुरखाराम पुत्र भीकाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकार बिलाड़ा